प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 02.05.2025

अवैध रूप से संचालित अस्पताल में लापरवाहीपूर्ण कृत्य द्वारा गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु कारित करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त व 1 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक बांसगांव के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 226/2025 धारा 318(2),319(2),105,3(5) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त 1. पन्ने लाल दास 2. नीरज कुमार व अभियुक्ता 3. गंगोत्री देवी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यावही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 27.04.2025 को वह अपनी पत्नी की डिलीवरी हेतु आशा कार्यकर्त्री गंगोत्री देवी के साथ प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र बांसगांव गये। जहाँ पर डाक्टरों द्वारा डिलीवरी हेतु उच्चर संस्थान के लिए रेफर किया गया। आशा कार्यकर्त्री द्वारा दबाव बनाकर अपनी जान पहचान के प्राईवेट अस्पताल गोविंद हास्पिटल बांसगांव रोड़ बघराई में भर्ती कराया गया। जहाँ पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उनकी पत्नी की डिलीवरी आपरेशन के द्वारा की गई। जब उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तब वे अपनी पत्नी को ईलाज हेतु गोरखपुर के लिए लेकर चल दिये। जिनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बांसगांव पर मु0अ0स0 226/2025 धारा 318(2),319(2),105,3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि गोविंद हास्पिटल बांसगांव रोड़ बघराई का कोई रजिस्ट्रेशन नही है। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 28.04.2025 को उपरोक्त अस्पताल को अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में सील कर दिया तथा यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त अस्पताल से आशा बहु गंगोत्री देवी पत्नी देवानन्द निवासी गोहली बसन्त थाना बासगाँव जनपद गोरखपुर सम्पर्क में थी तथा अस्पताल से कुछ कमीशन भी प्राप्त करती थी । पन्नेलाल व नीरज कुमार द्वारा मिलकर श्री हरि मेडिकेयर के नाम से टेकवार वार्ड नं0 1 उनवल गोरखपुर में भी एक अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। जिसको आज दिनांक 02.05.2025 को भी जाँच करने के उपरान्त अवैध पाये जाने के कारण सील कर दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. पन्ने लाल दास पुत्र स्व0 बालमुकुन्द दास निवासी जगरनाथपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर
2. नीरज कुमार पुत्र पन्नेलाल दास निवासी जगरनाथपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर
3. गंगोत्री देवी पत्नी देवानन्द निवासी गोहली बसन्त थाना बासगाँव जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0-226/2025 धारा 318(2),319(2),105,3(5) बीएनएस थाना बासगाँव जनपद गोरखपुर

शील किये गये अस्पताल के विरुद्ध पजीकृत अभियोग का विवरण-

1. गोविन्द अस्पताल बघराई के संचालक के विरुद्ध थाना बासगाँव पर मु0अ0सं0 228/2025 धारा 318(2)/319(2) बीएनएस व 34 एनएमसी एक्ट 2019
2. श्री हरि मेडिकेयर के नाम से टेकवार वार्ड नं0 1 उनवल गोरखपुर के संचालक के विरुद्ध थाना खजनी पर मु0अ0सं0 156/2025 धारा धारा 318(2)/319(2) बीएनएस व 34 एनएमसी एक्ट 2019

बरामदगी-

01 अदद वैगनार कार

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रेम पाल सिंह थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रावेन्द्र पाल थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अभिषेक राय थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 दिनेश कुमार गौतम थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
5. का0 संजीव कुमार वर्मा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
6. का0 अमन कुमार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
7. म0का0 प्रतिभा सिंह थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर
8. का0 देवश वर्मा थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर